परिपत्र संख्या-डीजी 70 /2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः नवम्बर 13,2014

प्रिय महोदय,

अभी हाल ही में प्रदेश के कतिपय जनपदों में व्यापारियों के साथ भयादोहन(Extortion) एवं हत्या किये जाने की कुछ घटनाएं प्रकाश में आयी है। इन घटनाओं के कारण व्यापारी वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा होना स्वभाविक है। ऐसा भी हो सकता है कि भयादोहन(Extortion) की प्रत्येक घटना की जानकारी पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को न दी जाती हो, जिसकी परिणति इन घटनाओं में वृद्धि के रूप में हो सकती है।

ऐसी घटनाएं न केवल पुलिस प्रशासन की छवि को धूमिल करती है, अपितु जनता एवं विशेष कर व्यापारी वर्ग में असुरक्षा की भावना जागृत करती है। यदि इस दिशा में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही एवं इन घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध योजनाबद्ध एवं कठोर कार्यवाही की जाए तो निश्चित ही इस प्रकार की घटनाओं में अंकुश लग सकेगा।

प्रश्नगत समस्या के निवारणार्थ आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर पूर्ण मनोयोग के साथ एक विशेष अभियान चलाया जाय। इस प्रकार की किसी भी घटना के संज्ञान में आने पर संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय, जिससे पीड़ित पक्ष/जनता में पुलिस व्यवस्था के प्रति आस्था बनी रहे। प्रायः यह भी देखा गया कि भयादोहन(Extortion) से सम्बन्धित घटना घटित होने के उपरान्त व्यापारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने के बाद भी न्यायोचित कार्यवाही अमल में लाये जाने के बजाय उदासीन रूख अपनाया जाता है।

यह आवश्यक है कि भयादोहन(Extortion) की घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाय इस हेतु निम्न कार्यवाही की जायः-

- प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में एक **"एण्टी-एक्स्टोर्शन सेल"** का गठन किया जाय। इस प्रकोष्ठ में ऐसे दक्ष पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जाय, जो आपराधिक अभिसूचना संकलन के कार्य में दक्ष हो तथा अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की क्षमता रखते हो।
- इस सेल द्वारा जनपद में घटित भयादोहन(Extortion) की घटनाओं की पूर्ण जानकारी रखी जायेगी एवं ऐसी भी घटनाओं की जानकारी रखने का प्रयास किया जायेगा जिनके बारे में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को औपचारिक रूप से सूचना नहीं दी गयी है। इस की सूचना संकलन के लिए स्थानीय उद्योग एवं व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों व अन्य व्यवसायिक संगठनों के सदस्यों से सम्पर्क कर उपयोगी जानकारी ज्ञात की जा सकती है।
- प्रत्येक घटना को गम्भीरता से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने नेतृत्व में प्रभावी कार्यवाही कराये। परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक इस प्रकार की

घटनाओं की अपने स्तर से नियमित रूप से समीक्षा करें तथा इन घटनाओं में की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण भी करें।

- विगत वर्षो में हुई इस प्रकार की घटनाओं की पुनः समीक्षा कर लिया जाय तथा ऐसे लोगों के बारे नये सिरे से जानकारी प्राप्त की जाय जिससे उनके वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके भयादोहन(Extortion) से सम्बन्धित अभियुक्त जो जमानत पर छूटे है उनकी निगरानी के विशेष प्रयास किये जाय।
- भयादोहन(Extortion) की घटित प्रत्येक घटना की जानकारी जनपद में स्थापित की जाने वाले "एण्टी-एक्स्टोर्शन सेल" के प्रभारी अधिकारी द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दी जायेगी। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा एसटीएफ को दी जायेगी, जो प्रदेश स्तर पर इन घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु नोडल अधिकारी होंगें।
- जनपदों में पूर्व से क्रियाशील सर्विलांस सेल व क्राइम ब्रान्च में उपलब्ध दक्ष कर्मियों एवं संसाधनों के इस कार्य में पूर्ण उपयोग किया जाय तथा अधिकाधिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाय।
- प्रदेश के जनपदों स्थापित जेलों के आस-पास आपराधिक अभिसूचना तन्त्र को सशक्त किया जाय, साथ ही जेलों में बन्द ऐसे पेशेवर अपराधियों पर कड़ी निगाह रखी जाय, जो जेल में रहकर अपने टीम के सदस्यों के माध्यम से भयादोहन(Extortion) की कार्यवाही कराते है।

परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों से अनुरोध है कि वह अपने जनपद भ्रमण के समय इस प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे कार्यो का मूल्यांकन भी करें।

मैं चाहूँगा कि इन निर्देशों का पूरी निष्ठा एवं गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके तथा जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।